राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकःएफ.2(3)लागत / 1034 / 452 दिनांक– 1/12/11

परिपत्र

परिपत्र क्रमांक क्रमांकःएफ.2(3)लागत / 1034 / 698 दिनांक 28.03.2011 द्वारा आवासन मण्डल में व्यावसायिक / वाणिज्यिक भूखण्डों, आवासों व दुकानों की नीलामी / खुली बिक्री योजना के तहत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित कर आवश्यक निर्देश दिये गये थे। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में आया है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी व इससे सम्बन्धित विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु उक्त परिपत्र द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि सन्दर्भित परिपत्र में अंकित सभी बिन्दुओं की अक्षरशः पालना करते हुए परिपत्र के बिन्दु संख्या 8, 9 (ब) व 16 में निम्न संशोधन अनुसार कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावें–

1. नीलामी / खुली बिक्री योजना कार्यक्रम की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही तथा विज्ञप्ति की निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकाशन करने की कार्यवाही अलग–अलग सम्पादित की जावे। किसी भी स्थिति में उक्त दोनों कार्यवाहियों का परस्पर सम्बन्ध नहीं रखा जाये।

2. विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु मोहरबन्द नीलामी / खुली नीलामी / खुली बिक्री योजना कार्यक्रम मोहरबन्द निविदा खोलने की तिथि / खुली नीलामी की तिथि / खुली बिक्री योजना प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम 45 दिन पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी को आवश्यक रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें (बिन्दु संख्या 8 का संशोधन)

3. मोहरबन्द नीलामी / खुली बिक्री योजना की विज्ञप्ति का प्रकाशन मोहरबन्द निविदा खोलने की तिथि / खुली नीलामी / खुली बिक्री योजना प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व किया जावे। इसके अलावा मोहरबन्द निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि / खुली नीलामी की तिथि / खुली बिक्री योजना प्रारम्भ होने की तिथि से यथासंभव 1 दिन पूर्व भी पुनः संक्षिप्त विज्ञप्ति दी जावे (बिन्दु संख्या 9 (ब) का संशोधन)।

4. नीलामी / खुली बिक्री योजना में शामिल सम्पत्ति के पूर्ण विवरण के साथ–साथ प्रत्येक सम्पत्ति का क्षेत्रफल भी आवश्यक रूप से अंकित किया जाये।

कृ.पृ.उ.

5. नीलामी/खुली बिक्री योजना की विज्ञप्ति के प्रस्तावों में शामिल प्रत्येक सम्पत्ति के न्यूनतम विक्रय मूल्य के साथ–साथ सभी सम्पत्तियों का कुल न्यूनतम विक्रय मूल्य भी अंकित किया जाना चाहिए।

6. नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुमोदन के प्रकरण नीलामी की तिथि से अधिकतम 10 दिवस में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं वहां से अधिकतम 7 दिवस में वित्तीय सलाहकार को व वित्तीय सलाहकार द्वारा अधिकतम 7 दिवस में आवासन आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करेंगे (बिन्दु संख्या 16 का संशोधन)

7. नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में नीलामी की सूचना विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व तथा नीलामी दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व अध्यक्ष, आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को आवश्यक रूप से दी जावे।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति प्रकाशन की प्रकिया में दिये गये बिन्दुओं के साथ ही उक्त निर्देशों की भी कडाई से पालना सुनिश्चित की जाये। निर्देशों की अवहेलना के लिए सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि–सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/सचिव/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक–विधि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3., अति.मुख्य अभियंन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. ACP, Computer Cell for endorsing in website.

वित्तीय सलाहकार

Computer Cell